उमा प्रचार

वर्ष 12 अंक 46

जुलाई से सितम्बर 2009

जिन्होंने संभाली पढ़ाई लिखाई की कमान
राजकिशोर

अलगी की नैशनल काउंसिल का सम्मेलन
देबराज भट्टाचार्य

पंचायत समाचार

केवल निजी वितरण के लिए

यह अंक

किसी भी काम की सफलता जन सहयोग और जन–भागीदारी पर निर्भर करती है। चाहे वह शिक्षा का प्रचार–प्रसार हो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन हो, स्वास्थ्य सेवायें हों या विभिन्न सरकारी योजनायें। देश के विभिन्न हिस्सों की महिला सरपंचों ने जन–सहयोग की इस सचाई को समझकर उसे अपने काम में भी उतारा है और सफलता प्राप्त की है।

देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा का उजाला फैलाने वाली इन महिला सरपंचों के बारे में जानकारी दे रहे हैं– राजकिशोर।

एसोसिएशन ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया (अलगी) की काउंसिल का अधिवेशन 4 अगस्त 2009 को हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने दिसंबर 2006 में अलगी का गठन किया। पंचायत प्रतिनिधियों के बीच सूचनाओं के आदान–प्रदान और एक दूसरे के संघर्ष को समर्थन देने के लिए यह संगठन बनाया गया।

इस सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए जन–प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं का आदान–प्रदान किया। प्रस्तुत है इसकी संक्षिप्त जानकारी।

इसके अलावा पंचायत संबंधित अन्य समाचारों की भी आपको जानकारी मिलेगी।

जिन्होंने संभाली पढ़ाई लिखाई की कमान

राजकिशोर

यह बात साफ हो चुकी है कि अकेले सरकारी बूते से अनपढ़ता का अंधेरा दूर नहीं हो सकता। जन–सहयोग भी जरूरी है। इस हकीकत और जिम्मेदारी को देश की कुछ महिला सरपंचों ने बखूबी समझा है और वे अपने–अपने गांव या हलके में शिक्षा का उजाला फैलाने में लगी हैं। सरपंची के तमाम काम संभालते हुए उन्होंने किस तरह इस प्रेरक मुहिम को अंजाम दिया, बता रहे हैं राजकिशोर।

महात्मा गांधी का यह कथन मैंने बार–बार पढ़ा है कि असली भारत गांवों में रहता है। सुमित्रानंदन पंत की कविता 'भारत माता ग्रामवासिनी' मेरी पसंदीदा कविताओं में से एक है। इसी कविता के दो शब्द उठाकर फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने अमर उपन्यास 'मैला आंचल' की रचना की थी। इस उपन्यास का नायक मलेरिया के कारणों की खोज में पूर्णिया के एक गांव में रिसर्च करने जाता है और आखिर में इस नतीजे पर पहुंचता है कि मलेरिया के कीटाणु नालियों और पोखरों में नहीं पाए जाते, बल्कि अशिक्षा और अज्ञान में पाए जाते हैं। मैं देखना चाहता था कि मैला आंचल' के इस नायक की खोज अब कितनी सार्थक है। शिक्षा–अशिक्षा,साक्षरता–निरक्षरता के आंकड़ों से कुछ खास पता नहीं चलता। आंखों देखा सत्य सब पर भारी पड़ता है।

पहले दिन हम सिर्फ दो गांव घूम सके। दोनों स्थानों पर विकास और अविकास के सम्मिलित नजारे दिखे। वहीं पता चला कि पड़ौस के गांव सिपारा में अगले दिन सुबह दस बजे ग्राम पंचायत की बैठक होने वाली है। अगला दिन मेरे लिए एक विरल अनुभव था। सिपारा पंचायत में मुखिया और उपमुखिया सहित कुल ग्यारह सदस्य थे – सात पुरुष और चार स्त्रियां। मुखिया पुरुष था और उपमुखिया स्त्री। प्रारंभिक कार्यवाही के बाद बैठक शुरू हुई। अजेंडे का पहला बिंदु यह था कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अगले महीने से क्या काम शुरू किया जाए। इस पर पिछली बैठक में बहस हो चुकी थी, कोई नतीजा नहीं निकला था। मुखिया और चार पुरुष पंच चाहते थे कि गांव को हाईवे से जोड़ने वाली सड़क बनायी जाए। उपमुखिया और दो महिलाएं चाहती थीं कि गांव के प्रायमरी स्कूल में दो कमरे और जोड़े जाएं। स्कूल में एक ही कमरा था और लड़के – लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सो तीस–चालीस बच्चों को गलियारे में पढ़ाया जाता था। इनमें से ज्यादातर दलित जातियों के थे। उपमुखिया भी दलित थी।

इस बीच सड़क बनाने के पक्ष में बोलने वालों ने दो और पंचों को तोड़ कर अपनी तरफ कर लिया था। उनका कहना था कि सड़क बनने से गांव के सभी लोगों का फायदा होगा। उपमुखिया का पक्ष यह था कि गलियारे में बिलकुल पढ़ाई नहीं होती। इसीलिए कई परिवार अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे। बच्चे कमरे में बैठेंगे तो कुछ पढ़–लिख सकेंगे। उपमुखिया ने लगभग गीली आंखों से पूछा : ये अनपढ़ बच्चे जब बड़े होंगे, तो पक्की सड़क पर चल तो पाएंगे, पर वे जाएंगे कहां और करेंगे क्या। अंत में मुखिया ने राय दी कि चूंकि बहुमत सड़क बनाने के पक्ष में है, इसीलिए स्कूल के कमरे अगले साल बनवाए जाएंगे। उपमुखिया ने कहा कि नहीं, सड़क अगले साल बनेगी। साल भर और सड़क नहीं होगी तो कुछ खास बन–बिगड़ नहीं जाएगा। पर कमरा नहीं बना तो बच्चों का पूरा एक साल खराब हो जाएगा। इसकी भरपाई कौन करेगा ? यह सवाल पूछते समय उपमुखिया की आंखों से चिनगारियां निकलने लगी थीं। वह चालीस–पैंतालीस साल की स्त्री थी। दुबली–पतली और कमजोर। पर उसकी ईमानदार

और प्रतिबद्ध आवाज पूरी बैठक पर भारी पड़ रही थी। आखिर में तय हुआ कि फैसला बीडीओ के हाथ में छोड़ दिया जाए। वह जो कहेगा, वही किया जाएगा। इस पर उपमुखिया ने खड़े होकर कहा : हम बीडीओ–फीडीओ को नहीं जानते। वह यहां का राजा नहीं है। हमारे गांव में तो वही होगा जो हम चाहेंगे।'

इस कार्यक्रम के साथ ही मुझे याद आ रही थी रायपुर से लगे गांव की अरुनबाला की। उनसे तीन–चार साल पहले मुलाकात हुई थी दिल्ली में आयोजित एक महिला पंच–सरपंच सम्मेलन में। उस दिन का कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। चाय के प्यालों के लिए हम लाईन में लगे हुए थे। कैन में लगे नल से एक स्त्री अपने लिए चाय भर रही थी। प्याला भर गया, पर वह नल को बंद करना नहीं जानती थी। चाय फर्श पर गिर रही थी। मेरे सामने खड़ी लगभग पैंतालीस साल की एक स्त्री लपक कर आगे गई और उसने नल को बंद कर दिया। इसके बाद वह लाईन में आकर इस तरह खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब वह और मैं चाय ले चुके और हॉल के एक कोने में घूंट–घूंट कर पीने लगे, तक तक मैं निश्चय कर चुका था कि इनसे बातचीत करनी चाहिए।

अरुनबाला छत्तीसगढ़ की ताराशिव ग्राम की पंचायत की प्रधान थीं। गंभीर, दृढ़ इच्छाशक्ति से भरपूर और विनयी। उन्होंने बताया, शुरू से ही मेरी तमन्ना थी कि मेरे गांव का हर बच्चा स्कूल जाए। मैंने अपने निजी प्रयास से कई बच्चों का नाम स्कूल में लिखवाया था। जब सरपंच बन गई तो मुझे लगा कि अब यह मेरी जिम्मेदारी भी है कि अपने गांव से अशिक्षा का अंधेरा दूर करके दिखलाऊं। 'मेरी शादी चौदह साल की उम्र में ही हो गई थी, इसीलिए मैं सातवीं से आगे नहीं पढ़ पाई। मैं नहीं चाहती थी कि वह कहानी फिर दोहराई जाए। सरस्वती से ही लक्ष्मी आती है। सो, मैंने एक नारा बनाया– हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसकी तख्तियां बनवा कर गांव के प्रमुख स्थानों में लगवा दीं। हमारा गांव पिछड़ा हुआ है। गरीबी बहुत है। आबादी दो हजार से ऊपर और बच्चों की संख्या करीब चार सौ।'

अरुनबाला अपने गांव ताराशिव का वर्णन इतने ग्राफिक ढंग से कर रही थीं कि वह मेरी आंखों के सामने सजीव हो उठा। तब तक तीन–चार महिलाएं वहां आ गई थीं। उनमें से एक ने कहा, 'अरे, इन्हीं को न राष्ट्रपति प्राइज़ मिला था।' अरुनबाला की सलज्ज आंखें झुक गईं। हां, यह 2003 की बात है।... तो हम बता रहे थे कि शुरू में ज्यादातर परिवारों को बच्चों को स्कूल भेजने की बात नहीं जंची। उनका कहना था कि हमारे बच्चे घर–खेत के काम में हमारी मदद करते हैं। स्कूल में पढ़कर क्या वे कलेक्टर हो जाएंगे ? करना तो उन्हें यही सब है जो हम कर रहे हैं। फिर उनका टाइम बरबाद क्यों करें ? तब मैं गांव के एक–एक घर में गई। हर मेंबर से बात की। शिक्षा की कीमत बताई। पहले लुगाईयां राजी हुईं, फिर मर्दों का नंबर आया। धीरे–धीरे हालत संभल गई। अब हमारे यहां एक प्रायमरी स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है और दो आंगनबाड़ियां हैं। गांव का हर बच्चा स्कूल जाता है।

जब अरुनबाला शिक्षा का उजाला फैलाने में अपनी सफलता का जिक्र कर रही थीं, उस वक्त उनके चेहरे पर आत्मसंतोष का जो इंद्रधनुष उग आया था, उसके चमकदार, पर शांत रंग तीन–चार साल के गैप के बाद भी मेरी आंखों के सामने वैसे ही लहरा रहे हैं। उसकी तुलना में हम शहराती लोगों की उपलब्धियां न के बराबर हैं।

अरुनबाला जैसी बहुत–सी पंच–सरपंच महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने–अपने गांव में शिक्षा का उजाला फैलाने में गहन दिलचस्पी ली और निरक्षरता के अंधेरे को फैलने से रोका।

इन्हीं में से एक थीं गुजरात के दाहोद जिले की सरपंच। उसके गांव में कोई स्कूल नहीं था। उसे यह बात लज्जाजनक लगी। पंचायत की बैठक में उसने एक प्रायमरी स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा। इसका तुरंत विरोध हुआ। कहा गया कि पूरे गांव में तीन ही बच्चे हैं, जिनके मां–बाप उन्हें स्कूल भेजना चाहते हैं। क्या सिर्फ इन तीन बच्चों के लिए स्कूल खोला जाएगा ? यह पैसे की बरबादी है। युवा सरपंच समझ गई कि समस्या कहां है। उसने घर–घर जाकर मां–बाप को समझाना शुरू कर दिया कि पढ़ाई के बिना आपका बच्चा तरक्की नहीं कर पाएगा। कहीं भी उसकी कोई पूंछ नहीं होगी। वह मनीऑर्डर फॉर्म तक नहीं भर पाएगा। बार–बार जोर देने पर उसकी बात का असर हुआ। स्कूल खुला। पर अभी भी गांव के बहुत से बच्चों ने स्कूल में नाम नहीं लिखवाया था। तब सरपंच ने कड़े उपाय आजमाने का फैसला किया। उसकी पहल पर पंचायत ने घोषणा की कि जो मां–बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, उन पर छह सौ रुपयों का जुर्माना लगाया जाएगा और छह महीने जेल की सजा मिलेगी। इस पर शुरू में तो बहुत वाद–विवाद हुआ, पर कुछ दिनों के बाद दाखिलों की लाईन लग गई। सरपंच का संकल्प रंग लाया।

ओडिशा की शिल्पा गोमांग की समस्या अलग थी। उसके गांव में स्कूल तो थे, पर उनका होना न होना न के बराबर था। ज्यादातर टीचर हफ्ते में नदारद रहते थे। शिल्पा खुद पढ़ी–लिखी नहीं थी। बस अपने सौरा–कबाइली समुदाय की भाषा जानती थी। फिर भी वह शिक्षा के महत्त्व को समझती थी। सरपंच के तौर पर उसने शिक्षकों पर दबाव बनाना शुरू किया कि वे नियमित रूप से पढ़ाने आएं। वे बहुत भुनभुनाए, कुछ ने झगड़ा भी किया। जब शिल्पा ने, गांव का सरपंच होने के नाते, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की चेतावनी दी, तो वे एक–एक कर लाईन में आने लगे। स्कूलों में पढ़ाई–लिखाई नियमित रूप से होने लगी, तो दाखिले भी बढ़ते गए। धीरे–धीरे स्थिति काफी सुधर गई।

लुधियाना की एक सरपंच ने तो कमाल कर डाला। उसका नाम है चंद्रदीप कौर। वह काफी पढ़ी–लिखी है। अंग्रेजी में एमए करने से पहले वह बीएससी और बीए कर चुकी थी। उसकी शादी कोहरा गांव में हुई थी। उसके पति गांव में सरपंच थे। जब यह सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई, तो चंद्रदीप ने इस पद के लिए चुनाव लड़ा। सरपंच चुने जाने के बाद उसने गांव की प्रमुख समस्याओं पर ध्यान देना शुरू किया। एक बड़ी समस्या यह थी कि गांव की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान का कोई शिक्षक नहीं था। ऊंची कक्षाओं के छात्र–छात्राएं परेशान थे। अपने बल पर वे थोड़ा–बहुत पढ़ लेती थीं, पर वह इम्तहान पास करने के लिए निहायत अपर्याप्त था। चंद्रदीप कौर ने साइंस टीचर के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन पत्र दिया, कई रिमाइंडर भेजे, पर साइंस टीचर गूलर का फूल बना रहा। बोर्ड की परीक्षा के दिन नजदीक आ गए थे। विद्यार्थी हताश थे। तब इस युवा सरपंच ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। वह विज्ञान की कक्षाएं लेने लगी। इससे छात्र–छात्राओं को बहुत राहत मिली। चंद्रदीप इस स्कूल में तीन साल से साइंस पढ़ा रही है। इस बीच कई बार वह जिला शिक्षा कार्यालय जा चुकी है, सभी अफसरों से मिल चुकी है, पर सरकार द्वारा नियुक्त विज्ञान शिक्षक अभी भी लापता है। फिर भी वह हताश नहीं हुई है और सरपंची के अन्य तमाम काम संभालते हुए विज्ञान की कक्षाएं ले रही है। सच्चे अर्थों में यह एक सामुदायिक नेता का जज्बा है जो उसे इस काम के लिए प्रेरित कर रहा है।

मैंने यहां सिर्फ पांच सरपंचों के नाम लिए हैं जिन्होंने अपने–अपने गांव में शिक्षा की रोशनी फैलाने के लिए संघर्ष

किया। देश के छह लाख गांवों में असंख्य निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं जो अशिक्षा के अंधेरे से लड़ रहे हैं। इनमें पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी। पर स्त्रियों में शिक्षा फैलाने का जज्बा ज्यादा है। इनमें से अनेक ऐसी हैं जिन्हें खुद औपचारिक शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। जब उन्हें पंचायत संबंधी हर काम के लिए पंचायत सचिव का सहारा लेना पड़ा, तब जाकर उन्हें शिक्षा का महत्त्व समझ में आया। वे नहीं चाहतीं कि अगली पीढ़ी को भी वह भोगना पड़े जो उन्हें भोगना पड़ रहा है। एक और बात थी। इन महिला सरपंचों ने देखा कि जमाना तेजी से बदल रहा है। नए समय में पढ़े–लिखे बिना गुजारा नहीं है। इसीलिए उन्होंने गांव में स्कूल खोलने, और जहां स्कूल थे उनकी हालत सुधारने के लिए अथक मेहनत की। हमें इन सब महिलाओं को सलाम करना चाहिए जो अपने–अपने क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान से भी ज्यादा प्रभावशाली साबित हुई हैं।

जनसत्ता से साभार

अलगी की नैशनल काउंसिल का सम्मेलन

देबराज भट्टाचार्य

एसोसिएशन ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया(अलगी) की नैशनल काउंसिल का सम्मेलन 4 अगस्त 2009 को नई दिल्ली में हुआ, जिसमें 20 राज्यों के लगभग 50 पंचायत प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। इसके अलावा पंचायती राज मामलों के विशेषज्ञ और कई विद्वान भी इसमें मौजूद थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. सी.पी. जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) पहला ऐसा केंद्रीय अधिनियम है, जिसमें योजनाएं बनाने, उन्हें पास करने और उनके कार्यान्वयन संबंधी महत्वपूर्ण अधिकार पंचायतों को दिए गए हैं। इसीलिए पंचायतें अब राज्य सरकार की मोहताज नहीं रह गई हैं। वे दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर ग्रामीण विकास को नया आयाम दे सकती हैं। यह सम्मेलन नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के परिसर में हुआ।

डॉ. जोशी ने कहा कि नरेगा में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को स्पष्ट रूप से कानूनी अधिकार दिए गए हैं। जरूरत इस बात की है कि ये संस्थाएं इन कानूनी प्रावधानों का लाभ उठाते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाएं और गरीबों को रोजगार के अधिक अवसर सुलभ कराएं। उन्होंने आगे कहा कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, अतः उसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस बारे में किसी भी समस्या का हल संवैधानिक या कानूनी दायरे में ही संभव है।

सम्मेलन में ग्राम पंचायतों के प्रधानों, सरपंचों, पंचों एवं सामाजिक संगठन के सदस्यों को अपने सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी देने का सुनहरा मौका मिला। बिहार की महिला प्रतिनिधि ने पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के जरिए उनकी क्षमता निर्माण पर बल दिया। गुजरात के सदस्य ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला प्रतिनिधियों को अक्सर पंचायत के भीतर एक छोटे गुट द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर हटा दिया जाता है। इसके बजाए ग्राम सभा के फैसले के आधार पर ही हटाने का प्रावधान किया जाए। हरियाणा के प्रतिनिधि ने कहा कि खाप पंचायतें 'पंचायत' शब्द को बदनाम कर रही हैं। उन्हें इस नाम के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जाए।

उत्तराखंड के प्रतिनिधि ने कहा कि उसके राज्य का अलग से पंचायत अधिनियम नहीं है, इसीलिए ऐसा कानून बनाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि ने बुंदेलखंड क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष की अपील की। कर्नाटक के प्रतिनिधि ने कहा कि उसके राज्य में पंचायतों को जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार नहीं है, जिससे गरीब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तमिलनाडु की महिला प्रतिनिधि ने बताया कि राज्य में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को आवास के लिए जो राशि मंजूर की जाती है, उसे बढ़ाकर 1,00,000 रुपए किया जाए। राजस्थान की महिला प्रतिनिधि ने योजनाओं पर बेहतर अमल के लिए वार्ड स्तर पर कड़ी निगरानी का सुझाव दिया। पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि ने कहा कि पंचायतों को कंप्यूटर के सभी जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से लैस किया जाना चाहिए। गोवा की महिला प्रतिनिधि ने महिला आरक्षण बिल पर अलगी से पहल की अपील की। सभी प्रतिनिधियों ने झारखंड और जम्मू–कश्मीर में पंचायत चुनाव न कराने पर भारी चिंता प्रकट की। जो प्रतिनिधि अलगी की बैठक में पहली बार आए, वे निर्धारित सदस्यता शुल्क का भुगतान कर इसके सदस्य बने। इस प्रकार अलगी की ताकत बढ़ती जा रही है।

पंचायत प्रतिनिधियों के बीच सूचनाओं के आदान–प्रदान और एक–दूसरे के संघर्ष को समर्थन देने के लिए किसी मजबूत मंच या संगठन का होना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने पहल कर दिसंबर, 2006 में अलगी का गठन किया। तब से यह भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया एवं स्थानीय सरकारों के हितों की पैरवी तथा इनके हितों को बढ़ावा देने वाले दबाव समूह के रूप में काम कर रहा है। यह उन एसोसिएशनों और व्यक्तियों के साथ नेटवर्क कायम कर रहा है, जो स्थानीय सरकार की संस्थाओं को अधिक अधिकार देने और कार्यों के हस्तांतरण से जुड़े हैं। अन्य देशों में अलगी जैसे संगठन पहले से बने हुए हैं और उन्होंने स्थानीय सरकारों के प्रतिनिधियों की एकजुटता और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का लक्ष्य पाने में शानदार कामयाबी पाई है। भारत में अलगी राष्ट्रीय स्तर पर इसी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अब तक वह विभिन्न मामलों पर कई क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित कर चुका है।

पंचायती राज अपडेट से साभार

त्रिपुरा पंचायत चुनाव : महिलाओं की भागीदारी बढ़ी

त्रिपुरा में होने वाले पंचायत चुनाव में पहले की तुलना में इस बार महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है। चुनाव विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि 20 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव में कुल 11831 उम्मीदवार खड़े हैं। इनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 4046 है। ग्राम पंचायत के चुनाव में 10942 उम्मीदवार हैं, जिनमें तीस प्रतिशत, 3739 महिला उम्मीदवार हैं। पंचायत समिति के चुनाव में 682 उम्मीदवारों में महिलाओं की संख्या 253 है। जिला परिषद् के चुनाव में 207 उम्मीदवारों में 54 महिलाएं हैं।

सभी राजनैतिक पार्टियों ने पंचायत चुनाव में अधिक संख्या में महिलाओं की भागीदारी का स्वागत किया है। इन पार्टियों का कहना है कि इस तरह महिलाएं अपनी समस्याओं का समाधान करने में सफल हो पाएंगी।

पंचायतों में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत महिला आरक्षण

संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने का मामला अभी भले ही अधर में लटका हुआ हो, लेकिन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। पिछली 27 अगस्त को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।

बैठक का ब्यौरा देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 243(डी) को संशोधित करने के लिए एक विधेयक लाने का फैसला किया गया है। इसके बाद पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए मौजूदा एक तिहाई सीटों का आरक्षण बढ़कर कम से कम 50 प्रतिशत हो जाएगा। सोनी ने कहा – "यह आरक्षण सीधे भरी जाने वाली कुछ सीटों, पंचायत अध्यक्षों और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित पंचायत अध्यक्षों की सीटों पर लागू होगा।" उन्होंने आगे कहा कि पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाने से राजनीति में अधिकाधिक महिलाओं के आने का मार्ग खुलेगा। महिलाओं के सशक्तीकरण से पंचायतें और अधिक सक्षम एवं कार्यशाली बनेंगी। उनका प्रशासन सुधरेगा और सार्वजनिक सेवा की व्यवस्था में भी सुधार आएगा।

सोनी ने आगे बताया कि शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने पर फैसला बाद में लिया जाएगा। पंचायतों में इस समय निर्वाचित हुए 28.1 लाख प्रतिनिधियों में से 36.87 प्रतिशत महिलाएं हैं। प्रस्तावित संविधान संशोधन के बाद पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 14 लाख से अधिक हो जाएगी। इस संविधान संशोधन के दायरे में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम के आदिवासी बहुल क्षेत्र, त्रिपुरा और मणिपुर के पहाड़ी इलाकों को छोड़कर बाकी सभी राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र आएंगे। अभी बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था लागू है।

केंद्र सरकार के ताजे फैसले का विभिन्न सामाजिक संगठनों ने स्वागत और समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिक मौका मिलेगा और उनमें अधिक आत्मविश्वास जागेगा। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि 16 साल पहले जब पंचायतों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था तो उसके बाद अनेक पंचायतों की महिला सरपंच प्रतिनिधियों ने गांवों के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देकर सफलता का नया इतिहास रचा। उन्होंने विशेषकर स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, नशाबंदी आदि क्षेत्रों में सराहनीय काम किए हैं।

पंचायती राज अपडेट से साभार

ग्राम कचहरी प्रशिक्षण शिविर

पटना, राज्य सरकार की ओर से गठित 'ग्राम कचहरी' के संचालन के लिए सरपंचों, उप–सरपंचों, न्याय मित्रों, ग्राम कचहरी सचिवों और पुलिस पदाधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत सरकार भवन बनवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गांवों में ही लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनवाना सरकार का लक्ष्य है।

प्रशिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंचायती स्तर पर लोगों को न्याय मिलने की व्यवस्था पहले भी थी। लेकिन 1997 के बाद वह व्यवस्था समाप्त हो गई। उसे उनकी सरकार फिर से शुरू करने जा रही है। नीतीश ने कहा कि सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए तीन

साल पहले उनको 50 प्रतिशत आरक्षण दिया था।

उन्होंने कहा कि उसी प्रकार राज्य सरकार ने 'ग्राम कचहरी' के गठन का निर्णय लिया है। इसकी सफलता दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय साबित हो सकती है। नीतीश कुमार ने कहा कि ग्राम कचहरी के गठन का फैसला उन्होंने प्रदेश में सत्ता में आने के बाद लिया था। उनका प्रयास था कि इसमें काम करने वालों को प्रशिक्षण न्यायपालिका की ओर से दिया जाए जो विशेषज्ञों की कमी के कारण नहीं हो सका। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम कचहरी के संचालन के लिए सरपंचों, उप–सरपंचों, न्यायमित्रों, ग्राम कचहरी सचिवों को कानूनी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने विधि अधिकारियों और कानूनविदों के सहयोग से प्रशिक्षण दिलाने का फैसला लिया।
4 जुलाई से पटना में शुरु हुए इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के बाद पांच जुलाई से राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसे ही प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। इसमें संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके बाद प्रखंड स्तर पर पंचों को प्रशिक्षण देने की योजना है।

जनसत्ता से साभार

उत्तर प्रदेश : लघु सचिवालय और कार्यालय

उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों के लघु सचिवालय और ग्राम प्रधानों के अपने ऑफिस जल्दी ही स्थापित किए जाएंगे। एक योजना के अंतर्गत इनकी स्थापना की तैयारियां की जा रही हैं। राज्य में कुल 52,000 ग्राम पंचायतें हैं। इस साल लगभग 3,000 पंचायतों को कवर किया गया है। इसके लिए चालू वित्त वर्ष में 323 करोड़ रुपए का कोष अलग से रखा गया।

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के सचिवालय में एक बैठक हॉल, ग्राम प्रधान कार्यालय, पंचायत सचिव के लिए घर और कार्यालय होगा। पंचायत सचिव का काम समय–समय पर बैठक आयोजन के अलावा सचिवालय की देखभाल और कामों में तालमेल बैठाना होगा। इस उद्देश्य के लिए कोष की कमी नहीं होगी, क्योंकि 2006–07 से शुरू हुई 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्र सरकार इसके लिए शत–प्रतिशत धनराशि देगी। योजना में 600 करोड़ रुपए का कोष है, जिसके अंतर्गत 34 पिछड़े जिलों की पंचायतों का चयन किया गया। लेकिन, योजना पर अमल के लिए कोई काम नहीं हुआ। पंचायती राज के मुख्य सचिव आर. के. शर्मा ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेश योजना को केंद्र सरकार ने तकनीकी आधार पर नामंजूर कर दिया, जिससे 2007–08 में भी कोई कार्य नहीं हो पाया।

इस योजना में शुरुआती अड़चनें आईं, पर अब योजना की निगरानी, अमल और महत्तवपूर्ण फैसले लेने से काम पूरे जोर के साथ शुरू हो गया है। राज्य के एक प्रवक्ता ने बताया कि निर्वाचित जिला नियोजन समितियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के लिए केंद्र ने 602.43 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। राज्य सरकार ने भी दिसंबर, 2008 तक 541.73 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। लघु सचिवालयों के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को अधिकतम 303 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के लिए 85.93 करोड़ रुपए जिला पंचायतों को जारी किए गए हैं

आई.एस.एस.टी., अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–3 द्वारा प्रकाशित।
संयोजन : मंजुश्री मिश्र। साज–सज्जा : मो. नसीम आरिफ । ई–मेल : **isstdel@isst-india.org**
वेबसाइट : **www.isst-india.org** फोन : 91-11-47682222